मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 ओर 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक भादरा

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :— **श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.**

उनवान

1 विनोदकुमार पुत्र दयाराम जाति जाट निवासी हुनवन्तपुरा त. भादरा जिला हनुमानगढ

बनाम्

1 दयाराम पुत्र हरफूल जाति जाट निवासी हुनवन्तपुरा त. भादरा जिला हनुमानगढ

2 रजनी पुत्री दयाराम पत्नी अजय जाति जाट कासनिया निवासी माकुसराणी त. चोपटा (सिरसा)

3 रोहित पुत्र दयाराम जाति जाट निवासी हुनवन्तपुरा त. भादरा जिला हनुमानगढ

दावा बाबत :— अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.

मुकदमा नम्बर :— 77/18

निर्णय दिनांक :— 03.05.2018

वादी की ओर से श्री धर्मपाल बेरवाल एडवोकेट की व प्रतिवादी की ओर से श्री सतवीर बेनीवाल एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 03.05.2018 को मुझ **राजकुमार कस्वा** सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि :—

रोही मौजा हुनवन्तपुरा के खाता संख्या 111/108 कि कुल 8.8910 हैक्टर जिसमें दयाराम की 10 हिस्सा खातेदारी दर्ज है खाता नं. 30/33 कि कुल 17.3000 हैक्टर में दयाराम का 1/8 हिस्सा खातेदारी दर्ज है खाता नं. 94/95 कि कुल 16.6310 हैक्टर जिसमें दयाराम की 10 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। उक्त कृषि भूमि में दयाराम पुत्र हरफूल प्रतिवादी नं. 1 के नाम खातेदारी भूमि के वादी व प्रतिवादी नं. 3 बहिब के खातेदार काश्तकार है। चूकि प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 ने उपरोक्त कृषि भूमि में से अपने हिस्से की कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी नं. 3 के पक्ष में त्याग कर दी है। इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के पश्चात ही राजस्व रिकार्ड में अमल कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना—अपना वहन करे।

यह निर्णय तारीख 03.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर से ओर न्यायालय के मुद्रा लगाकर दी गई।

पीठासीन अधिकारी

3.5.18

सहायक कलक्टर, फास्ट ट्रेक
भादरा (हनुमानगढ)